



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
 Tel.: 011-2695168, 8860748880  
 Email- mpquota@kvs.gov.in  
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 20.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Sadashiv Kisan Lokhande** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 254 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	आरोही यशवंत साबके	यशवंत, मो- 8308377628	1	एनसी नाशिक रोड, कैम्प नाशिक
2	मल्हार हर्षल शिंदे	हर्षल, मो- 7744062111	1	न. 1 अहमदनगर
3	गौरव अमोल जाधव	अमोल, मो- 8830072929	1	न. 1 अहमदनगर
4	संकर्षण मकरंद मुले	मकरंद, मो- 8261984490	1	न. 1 अहमदनगर
5	श्रावण गणेश गोरे	गणेश, मो- 9881340400	5	न. 2 अहमदनगर
6	आराध्य भाउसाहेब देशमुख	भाउसाहेब, मो- 8805093851	1	नेहरू नगर नाशिक रोड
7	प्रत्युष शिवाजी राक्की	शिवाजी, मो- 9021282866, 9421560222	1	न. 1 अहमदनगर
8	ईशा दिलिप धनवटे	दिलिप, मो- 9145153749	1	न. 1 अहमदनगर
9	साईशा प्रदिप नेहे	प्रदिप, मो- 9834860417	1	न. 1 अहमदनगर
10	रेशमा राम मघाडे	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		

दिनांक 20/08/2020

कृ. पृ. 3.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Sadashiv Kisan Lokhande माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **MUMBAI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

R